न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
8 / 2022	03.01.2022	16.5.2023

उनवान

1. रामफल पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
2. मंगलसिहं पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
3. ग्यारसी बाई पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना हाल पत्नी रामकुंवार निवासी प्राणपुरा तह0 व जिला रेवाडी।
4. शान्ति पतनी शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
5. विकम यादव पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
6. सुमन देवी पत्नी अशोक पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
7. नितिन कुमार पुत्र अशोक पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
8. प्रीति पुत्री अशोक पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
9. वीरसिहं पुत्र चन्द्रकला पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम भूपखेडा तह. बहरोड।
10. सुधीर पुत्र चन्द्रकला पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम भूपखेडा तह. बहरोड।
11. सुनीता पुत्री चन्द्रकला पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम भूपखेडा तह. बहरोड।

:—वादीगण।

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र चिरन्जीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना। हाल आबाद बी—178 गॉव धोण्डा दिल्ली।
2. ओमप्रकास पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना। हाल आबाद मकान न0 555 शिव मंदिर ब्लॉक अरविन्द नगर धोण्डा नॉर्थ दिल्ली।
3. प्रसान्त पुत्र जयप्रकास जाति ब्राहम्ण
4. हेमन्त पुत्र जयप्रकास जाति ब्राहम्ण
5. शीतल पत्नी मीनू पुत्रवधू जयप्रकास जाति ब्राहम्ण
6. सोनू पुत्र मीनू पौत्र जसप्रकास जाति ब्राहम्ण ना0बा0 जरियं सरपरस्त माता शीतल देवी सभी निवासी ग्राम महतावास हाल आबाद बी—178 गॉव धोण्डा दिल्ली
7. निरज कुमार सुरेश कुमार जाति ब्राहम्ण
8. बीना पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहम्ण विासी महतावास हाल आबाद मकान न0 555 शिव मंदिर ब्लॉक अरविन्द नगर धोण्डा नॉर्थ दिल्ली।
9. किशन लाल पुत्र प्रहलाद पुत्र सूरजभान जाति ब्राहम्ण
10. बिन्नु पुत्र प्रहलाद पुत्र सूरजभान जाति ब्राहम्ण
11. विनोद पुत्र प्रहलाद पुत्र सूरजभान जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महतावास हाल आबाद बी—168 सी0वी0 ब्लॉक अरविन्द नगर गॉव धोण्डा दिल्ली।
12. सुनील कुमार पुत्र चिरन्जीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना। हाल आबाद बी—178 वी ब्लॉक अरविन्द नगर धोण्डा दिल्ली।
13. उपपंजीयक, मांढण।
14. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) नीमराना जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री जितेन्द्र सामरिया एड0 वादीगण की ओर से।

धिकारी 2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

लवर)

—::निर्णय::—

Sidd/2023

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 1033/0.24, 1034/0.06 है0 वाके ग्राम महतावास तह. नीमराना मौके के मुताबिक एवं वास्तविक रुप से साबिक ख0न0 451/1–00बीघा से कायम हुआ है लेकिन मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 की टेबिल में साबिक ख0न0 441/4–01 बीघा से बनाया जाना दर्शित किया गया है ।
2. साबिक ख0न0 451/1–00 बीघा का खातेदार मुताबिक जमाबन्दी संवत 2029 के हमवादीगण के पिता व दादा मातादीन पुत्र चन्ना थे जो अपने जीवन काल में काबिज काश्त रहे तथा उनके पश्चात हमवादीगण काबिज काश्त है। मृत्तक मातादीन पुत्र चन्ना के वारिसान का सजरा वाद में अंकित किया जा रहा है ।
3. प्रतिवादीगण के बुजुर्ग अमीचन्द पुत्र हरदेव की खातेदारी का ख0न0 441/4–01 बीघा था जिससे मिलान क्षेत्रफल की टेबिल के मुताबिक हाल ख0न0 132/1.10 कायम किया गया है जो प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा मिलान क्षेत्रफल की टेबिल में साबिक ख0न0 441/4–01 बिस्वा के नीचे 451/1–00दर्ज होना चाहिए था लेकिन बंदोबस्त संवत 2042 के कर्मचारियों द्वारा गलती व लापरवाही से हमवादीगण के बुजुर्ग मातादीन की खातेदारी के ख0न0 451/1–00 बीघा के स्थान पर प्रतिवादीगण के बुजुर्ग अमीचन्द की खातेदारी का ख0न0 441/4–01 दर्ज कर उसके हाल ख0न0 1033/0.24, 1034/0.06 कायम कर उसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम से बैजा तौर पर दजै कर दी तथा हमवादीगण के बुजुर्ग के साबिक ख0न0 451 का कोई नया न0 नहीं बनाया गया हमवादीगण के `बुजुर्ग की खातेदारी समाप्त कर दी जबकी भूप्रबंध विभाग को किसी की खातेदारी को समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए हमवादीगण दुरुस्ती करवाकर साबिक रिकार्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक हाल ख0न0 1033/0.24, 1034/0.06 है0 भूमी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण का हमवादीगण की उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है । बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत रुप से साबिक ख0न0 451/1–00 बीघा के स्थान पर प्रतिवादीगण के साबिक ख0न0 441 मिलान क्षेत्रफल की टेबिल में अंकित कर हाल न0 1033/0.24, 1034/0.06 खिलाफ मौका खिलाफ कानून नियम विरुद्व तरीके से प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम से दर्ज कर दिया जो इंद्राज हमवादीगण के अधिकारो के विरुद्व बातिल व बेअसर है। इसलिए हमवादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि हाल ख.नं. 1033/0.24, 1034/0.06 वाके ग्राम महतावास तह. नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी इंद्राज को कलमजन किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त व साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी सं0 1 लगा0 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/5 के व वादी सं0 4 व 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/15 तथा वादी सं0 6 लगा08 प्रत्येक को हिस्सा 1/45 व वादी सं0 9 लगा0 11 प्रत्येक का`हिस्सा 1/15 का खातेदार घोषित किया जावें व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, ख0गि0 मे अंकन कराने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि वो विवादित आराजी के गलत इंद्राज के आधार पर रहन बय नही करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की महाजाहमत पैदा ना करे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

5. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थिति नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व दिनांक 23.02.2022 एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत कि गई।

अधिकारी
ा (अलवर)

6. वादीगण ने साक्ष्य में रामफल पुत्र मातादीन का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01, पवन कुमारपुत्र ओमप्रकाश का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02, सुबेसिंह पुत्र कँवरसिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू. 03 पेश किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2074–77 प्रदर्श 01, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 02, नकल खतोनी भूप्रबंध विभाग प्रदर्श 03, नकल नक्शा संवत 2038 प्रदर्श 04, नकल नक्शा संवत 2020 प्रदर्श 05, नकल नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श 06, रसीद पो० ओ० प्रदर्श07,8 व नकल नकलावेदन पत्र मिलान क्षेत्रफल मय रिपोर्ट प्रदर्श 09, नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 10, नकल जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 11 पेश किए है।

7. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 10 के अनुसार साबिक ख0न0 451/1–00 मातादीन पुत्र चन्ना अहिर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है , नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 02 के अनुसार हाल ख0न0 132/1.10 साबिक ख0न0 441 मिन रकबा 4–01 बीघा से कायम किया जाना अंकित है जबकी साबिक ख0न0 441 का कुल रकबा 1 बीघा ही था जिससे स्पष्ट है की भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत दर्शित की है इसी अनुसार हाल ख0न0 1033/0.24, 1034/0.06 को भी साबिक ख0न0 441 मिन से कायम किया जाना दर्शित है जो गलत है, नकल आवेदन पत्र प्रदर्श 09 के अवलोकन से साबित है की वादी रामफल ने साबिक ख0न0 451 से जो हाल ख0न0 संवत 2042 में कायम किये गये उनकी नकल लेने हेतु आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में पेश किया जिस पर अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है की ग्राम महतावास की मिसल बंदोबस्त संवत 2042–61 में दर्ज मिलान क्षेत्रफल का अध्ययन किया गया, ग्राम महतावास के मिलसान क्षेत्रफल में साबिक ख0न0 451 कहीं भी दर्ज नहीं है। इस रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है की भूप्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल की टेबिल में हाल ख0न0 1033 व 1034 को साबिक ख0न0451 से कायम किया जानास चाहिए था परन्तु गलती से 451 के बजाए 441 गलत दर्ज किया गया है क्योकी साबिक 441 से हाल ख0न0 132,133 कायम किया जाना दर्शित किया है जो साबिक रकबे के अनुसार सही है भूप्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल टेबिल में की गई गलती पर ही हाल ख0न0 1033, 1034 का खातेदार प्रतिवादीगण के बुजुर्ग को गलत रुप से दर्ज किया है क्योकी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग की खातेदारी का साबिक ख0न0 441 था और वादीगण के बुजुर्ग की खातेदारी का साबिक ख0न0 451 था । वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एंव गवाहान के शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का वाद भली–भॉंती साबित होता है । वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण बहकवादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण एक पक्षिय डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल ख.नं. 1033/0.24, 1034/0.06 वाके ग्राम महतावास तह. नीमराना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।एवं उक्त आराजी का वादी सं0 1 लगा0 3 प्रत्येक को हिस्सा 1/5 के व वादी सं0 4 व 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/15 तथा वादी सं0 6 लगा08 प्रत्येक को हिस्सा 1/45 व वादी सं0 9 लगा0 11 प्रत्येक का`हिस्सा 1/15 का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.5.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

16/5/2023

(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

Sidd/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
8/2022	03.01.2022	16.5.2023

उनवान

1. रामफल पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
2. मंगलसिंह पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
3. ग्यारसी बाई पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना हाल पत्नी रामकुंवार निवासी प्राणपुरा तह0 व जिला रेवाडी।
4. शान्ति पतनी शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
5. विक्रम यादव पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
6. सुमन देवी पत्नी अशोक पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
7. नितिन कुमार पुत्र अशोक पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
8. प्रीति पुत्री अशोक पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना।
9. वीरसिंह पुत्र चन्द्रकला पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम भूपखेडा तह. बहरोड।
10. सुधीर पुत्र चन्द्रकला पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम भूपखेडा तह. बहरोड।
11. सुनीता पुत्री चन्द्रकला पुत्री मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम भूपखेडा तह. बहरोड।

:–वादीगण।

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र चिरन्जीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रान महतावास तह. नीमराना। हाल आबाद बी–178 गॉव धोण्डा दिल्ली।
2. ओमप्रकाश पुत्र राननिवास जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रान महतावास तह. नीमराना। हाल आबाद मकान न0 555 शिव मंदिर ब्लॉक अरविन्द नगर धोण्डा नॉर्थ दिल्ली।
3. प्रसान्त पुत्र जयप्रकास जाति ब्राहम्ण
4. हेमन्त पुत्र जयप्रकास जाति ब्राहम्ण
5. शीतल पत्नी मीनू पुत्रवधू जयप्रकास जाति ब्राहम्ण
6. सोनू पुत्र मीनू पौत्र जसप्रकास जाति ब्राहम्ण ना0बा0 जरियं सरपरस्त माता शीतल देवी सभी निवासी ग्राम महतावास हाल आबाद बी–178 गॉव धोण्डा दिल्ली
7. निरज कुमार सुरेश कुमार जाति ब्राहम्ण
8. बीना पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहम्ण विासी महतावास हाल आबाद मकान न0 555 शिव मंदिर ब्लॉक अरविन्द नगर धोण्डा नॉर्थ दिल्ली।
9. किशन लाल पुत्र प्रहलाद पुत्र सूरजभान जाति ब्राहम्ण
10. विन्नु पुत्र प्रहलाद पुत्र सूरजभान जाति ब्राहम्ण
11. विनोद पुत्र प्रहलाद पुत्र सूरजभान जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महतावास हाल आबाद बी–168 सी0वी0 ब्लॉक अरविन्द नगर गॉव धोण्डा दिल्ली।
12. सुनील कुमार पुत्र चिरन्जीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महतावास तह. नीमराना। हाल आबाद बी–178 वी ब्लॉक अरविन्द नगर धोण्डा दिल्ली।
13. उपपंजीयक, मांढण।
14. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) नीमराना जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम।

उपस्थितीः– 1 श्री जितेन्द्र सामरिया एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

कारी
वर)

दिनांकः– 16.5.2023

–::पर्चा डिक्रीः:–

वाद वादीगण बहकवादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षिय डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल ख.नं. 1033／0.24, 1034／0.06 वाके ग्राम महतावास तह. नीमराना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।एवं उक्त आराजी का वादी सं0 1 लगा0 3 प्रत्येक को हिस्सा 1／5 के व वादी सं0 4 व 5 प्रत्येक को हिस्सा 1／15 तथा वादी सं0 6 लगा08 प्रत्येक को हिस्सा 1／45 व वादी सं0 9 लगा0 11 प्रत्येक का हिस्सा 1／15 का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगें। सुनाया गया ।

16/5/2023

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)